भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1540

उत्तर देने की तारीख: 28.07.2026

नि:शुल्क कोचिंग योजना

1540. श्री अमर शरदराव काले:
डॉ. संजय जायसवाल:
सुश्री बाँसुरी स्वराज:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री बलभद्र माझी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत कुल कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) ने कार्यात्मक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) वर्तमान शैक्षिक चक्र के अनुसार इन भागीदारी वाले विश्वविद्यालयों का प्रतिशत कितना सक्रिय रूप से कोचिंग सत्रों को कार्यान्वित कर रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधियों को समय पर जारी करने और उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जातियों (एससी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत 19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख): वर्तमान शैक्षिक चक्र के दौरान, आज की तारीख तक 84% भागीदार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (19 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 16) इस योजना के अंतर्गत कोचिंग का संचालन कर रहे हैं।

(ग): वित्तीय सहायता जारी करना केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर दावे प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है। योजना के तहत स्वीकृत निधियों को समय पर जारी करने और उनका पूर्ण उपयोग करने के लिए, विभाग ने पैनल में शामिल केंद्रीय विश्वविद्यालयों को समय पर कोचिंग कक्षाएं शुरू करने और निधि जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित की जाती है।
